क्रम-संख्या–178

रजिस्ट्रेशन नम्बर–जी०–11/लाई०–
न्यूज पेपर/91/05–06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 9 जुलाई, 2007

आषाढ़, 18, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1135/79–वि–1–07-1(क)26/2007

लखनऊ, 9 जुलाई, 2007

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 7 जुलाई, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम , 2007

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2007)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 15 जून, 2007 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–22 सन् 1994 की धारा 3 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(2) आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सत्रह अन्य सदस्य होंगे।"

धारा 4 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 4 में;–

(क) उपधारा–(1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी :–

"(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य एक वर्ष के लिए पद धारण करेंगे :

परन्तु यह कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे।"

(ख) उपधारा (2) में शब्द "अध्यक्ष", जहां भी आया हो, के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष" रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (3) निकाल दी जायेगी।

(घ) उपधारा–(5) में शब्द "अध्यक्ष और सदस्यों" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य" रख दिये जायेंगे।

धारा 6 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 6 में शब्द "अध्यक्ष एवं सदस्यों" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य" रख दिये जायेंगे।

धारा 14 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 14 में, शब्द "अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्यों और कर्मचारियों" रख दिये जायेंगे।

धारा 16 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 16 में शब्द "अध्यक्ष या किसी सदस्य" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य" रख दिये जायेंगे।

धारा 17 का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा 17 में उपधारा–(2) खण्ड (क) में शब्द "अध्यक्ष और सदस्यों" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

8–(1) उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2007

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1994) का अधिनियमन उत्तर प्रदेश राज्य में एक अल्पसंख्यक आयोग का गठन करने के लिये किया गया है। उक्त अधिनियम के अधीन अल्पसंख्यक आयोग का गठन एक अध्यक्ष और सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट छः सदस्यों को सम्मिलित करते हुए किया गया था। आयोग के कामकाज को और अधिक गति देने के लिए यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके यह व्यवस्था की जाय कि आयोग के गठन में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सत्रह अन्य सदस्य, जिनमें से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित छः अल्पसंख्यक समुदायों में से प्रत्येक से दो सदस्य और महिलाओं में से तीन सदस्य सम्मिलित किये जायं। यह भी विनिश्चय किया गया कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल को तीन वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दिया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और तुरन्त विधायी कार्रवाई करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा 15 जून, 2007 को उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2007) प्रख्यापित किया गया।

तत्पश्चात्, यह भी विनिश्चय किया गया कि आयोग के गठन सम्बन्धी उपबन्ध में से शब्द "जिनमें से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित छः अल्पसंख्यक समुदायों में से प्रत्येक से दो सदस्य और महिलाओं में से तीन सदस्य होंगे।" निकाल दिये जायं।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को यथाउपरिउल्लिखित उपान्तर सहित प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 1135/79–V–1–07–1(Ka)26/2007
Dated, Lucknow July 9, 2007

NOTIFICATION

Miscellaneous

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Alp Sankhyak Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradsh Adhiniyam Sankhya 8 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 7, 2007:–

THE UTTAR PRADESH COMMISSION FOR MINORITIES (AMENDMENT) ACT, 2007

(U.P. Act No. 8 of 2007)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Commission for Minorities Act, 1994.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Commission for Minorities (Amendment) Act, 2007.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 15, 2007.

Amendment of section 3 of U.P. Act no. 22 of 1994.

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Commission for Minorities Act, 1994 hereinafter referred to as the principal Act, *for* sub-section (2) the following sub-section shall be *substituted* namely :–

" (2) The Commission shall consist of a Chairman, two Vice-Chairman and seventeen other Members."

Amendment of section 4

3. In section 4 of the principal Act,–

(a) for sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted,* namely :–

"(1) The Chairman, a Vice-Chairman and Member shall hold office for a term of one year :

Provided that the Chairman, a Vice-Chairman and every Member shall hold office during the pleasure of the State Government."

(b) in sub-section (2) *for* the words "the Chairman" wherever occurring the words "the Chairman, a Vice-Chairman" shall be *substituted.*

(c) sub-section (3) shall be *omitted.*

(d) in sub-section (5) *for* the words "the Chairman and Members" the words "the Chairman, a Vice-Chairman or a Member" shall be *substituted.*

Amendment of Section 6

4. In section 6 of the principal Act *for* the words "the Chairman and Members" the words "the Chairman, a Vice-Chairman, a Member" shall be *substituted.*

Amendment of Section 14

5. In section 14 of the principal Act *for* the words "the Chairman, Members and employees" the words "the Chairman, the Vice-Chairman, Members and employees" shall be *substituted.*

Amendment of Section 16

6. In section 16 of the principal Act *for* the words "the Chairman or a Member" the words "the Chairman or a Vice-Chairman or a Member" shall be *substituted.*

Amendment of Section 17

7. In section 17 of the principal Act, in sub-section (2), in clause *(a) for* the words "the Chairman and Members" the words "the Chairman, Vice-Chairman and Members" shall be *substituted.*

Repeal and savings

U.P. Ordinance no. 10 of 2007

8. (1) The Uttar Pradesh Commission for Minorities (Amendment) Ordinance, 2007 is repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Commission for Minorities Act, 1994 (U.P. Act no. 22 of 1994) has been enacted to constitute a Commission for Minorities in the State of Uttar Pradesh. The Uttar Pradesh Commission for Minorities was constituted under the said Act consisting of a Chairman and six members nominated by the Government. In order to make the working of the Commission more dynamic it was decided to amend the said Act to provide that the Commission shall be constituted with a Chairman, two Vice-Chairman and seventeen other members of which two members each from amongst six minorities communities notified by the State Government and three members from amongst women. It was also decided to reduce the term of the Chairman, the Vice-Chairman and members from three years to one year.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary, the Uttar Pradesh Commission for Minorities (Amendment) Ordinance, 2007 (U.P. Ordinance no. 10 of 2007) was promulgated by the Governor on June 15, 2007.

Thereafter it was decided to omit the words "of which two members each from amongst six minorities communities notified by the State Government and three members from amongst women" from the provision for the constitution of the Commission.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance with the modification as mentioned above.

By order,

VIRENDRA SINGH,

Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 268 राजपत्र–(701)–2007–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 147 सा० विधायी–(702)–2007–850 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।